	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, बुधवार, *शाके* 1947- मार्च 18, 2026 Phalguna 27, Wednesday, Saka 1947- March 18, 2026	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 21, 2026

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/161:- विद्‌युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 43 से 48, 50, 55 एवं 56 सपठित धारा 181 द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌, राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग (विद्‌युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्‌ध मामलें) विनियम, 2021 (इसके पश्चात्‌ "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) में संशोधन करने के लिये एतद्‌द्‌वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌ :

1. **लघु शीर्षक, प्रयोज्यता तथा प्रारम्भण**

(क) ये विनियम, "राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग (विद्‌युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्‌ध मामलें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026" कहलायेंगे।

(ख) ये विनियम राज्य में मानित अनुज्ञप्तिधारियों सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये प्रयोज्य होंगें।

(ग) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय राज-पत्र में प्रकाषन की तिथि से प्रवृत्त होंगें।

2. **मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन**

मूल विनियम के उप-विनियम 6.13 के नीचे एक नया उप-विनियम 6.14 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा

"**6.14 -एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं को द्‌वि-स्रोत विद्‌युत आपूर्ति :-**

एचटी/ईएचटी आपूर्ति की आवश्यकता रखने वाले आवेदकों को, तकनीकी व्यवहार्यता तथा सुरक्षा विनियमों के अनुपालन के अधीन, दो स्रोतों से विद्‌युत आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, जिसमें दोनों स्रोतों का एक साथ उपयोग अथवा स्टैंडबाय स्रोत के रूप में उपयोग सम्मिलित होगा।

ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता को किसी स्रोत से शून्य से लेकर अनुबंधित माँग तक उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, आवेदक द्‌वारा दोनों स्रोतों हेतु विद्‌युत लाइन अथवा विद्‌युत संयंत्र

के विस्तार से संबंधित समस्त व्यय, शुल्कों की अनुसूची (अनुसूची-**I**) में विहित शुल्कों के अतिरिक्त, जमा कराया जाएगा।"

3. मूल विनियम की अनुसूची - I में संशोधन

मूल विनियम की विद्यमान अनुसूची-I, 2.2(ख) के नीचे एक नया प्रावधान निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :-

" बशर्ते यह कि यदि कोई उपभोक्ता दोनों स्रोतों के एक साथ उपयोग अथवा स्टैंडबाय स्रोत के सहित द्वि-स्रोत विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदन करता है, तो उससे संयंत्र लागत (**Plant Cost**) का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।"

आयोग के आदेश द्वारा,

सचिव।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Jaipur, January 21, 2026

No. RERC/Secy/ Reg161: In exercise of the powers conferred by sections 43 to 48, 50, 55 and 56 read with section 181 of the Electricity Act 2003 (Act 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publications, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021(hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. <u>Short title, applicability and commencement</u>

a) These Regulations shall be called 'The Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Connected Matters) (Third Amendment), Regulations, 2026**.**

b) These Regulations shall apply to distribution licensees including deemed licensees and consumers in the State.

c) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. <u>Amendment in Regulation 6 of the Principal Regulations</u>:

A new sub-Regulation 6.14 shall be added below sub-Regulation 6.13 of the Principlal Regulation as under:

"6.14 – Dual Source Supply to HT/EHT Consumers:-Supply of electricity may be provided to applicants requiring HT/EHT supply from two sources with simultaneous use /or standby source, subject to technical feasibility and

compliance with Safety Regulations. In such case, consumers will be at liberty to use contracted demand either of the source from zero to contracted demand. In such case, applicant shall deposit all expenses towards extension of electric line or electric plant for both sources in addition to charges as prescribed in the schedule of charges(Schedule-I).”

3. Amendment in Schedule-I of the Principal Regulations:-

A new proviso shall be added below existing Schedule-I, 2.2(b) of the Principal Regulation as under:-

“Provided that if consumer applies for dual source of supply with use of both sources simultaneously/ or standby source, double the plant cost will be charged.”

By Order of the Commission,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।